

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारसीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 174 सन 2020 / ऑन लाईन नम्बर:-2020 / 00214

अनवान :-

1. महेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बचनाराम पुत्र जीवनराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र बचनाराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर।
3. राजुराम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
4. गोमती पुत्री बचनाराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
5. रोहिताश पुत्र राजुराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
6. सन्तलाल पुत्र राजुराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
7. सुभाष पुत्र स्व बंशीलाल जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
8. राकेश पुत्र स्व बंशीलाल जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
9. कविता पुत्री बंशीलाल जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
10. धापा पुत्री बंशीलाल जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
11. सुनीता पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
12. माया पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
13. मीरा पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिष्ठत : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 15/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 152/142 की कुल 13.3190 हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा जीवनराम पुत्र राजुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा जीवनराम पुत्र राजुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा जीवनराम पुत्र राजुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं पुत्री प्रतिवादी संख्या 4 है प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र बंशीलाल का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान वादी प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 है व प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 के वारिस प्रतिवादी संख्या 5, 6 है अर्थात वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 13 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी का दादा है प्रतिवादी संख्या 2 वादी का पिता है प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 5, 6 के पिता है प्रतिवादी संख्या 4 वादी की बुआ व प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की बहन है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 की बहने है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 9 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 अपने भाई / पिता/पुत्रों के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 का वरावर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपस्थित अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 बहिय के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता जीवनणराम पुत्र राउराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1-ता 4 ,9 ता 13 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/पुत्रो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 152/142 की कुल 13.3190 हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा जीवनणराम पुत्र राउराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा जीवनणराम पुत्र राउराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा जीवनणराम पुत्र राउराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एवं पुत्री प्रतिवादी संख्या 4 है प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र बंशीलाल का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान वादी प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 है व प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 के वारिस प्रतिवादी संख्या 5 ,6 है अर्थात वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 13 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी का दादा है प्रतिवादी संख्या 2 वादी का पिता है प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के पिता है प्रतिवादी संख्या 4 वादी की बुआ व प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की बहन है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 की बहने है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,9 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 अपने भाई /पिता/पुत्रों के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपजुद्ध अधिकारी वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश
बोहर किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों

के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति / राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 152/142 की कुल 13.3190 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्बत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि जीवनणराम पुत्र राउराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा जीवनणराम पुत्र राउराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा जीवनणराम पुत्र राउराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 9 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 9 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर इकवाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 9 ता 13 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 152/142 की कुल 13.3190 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5, 6 बहिव 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7, 8 बहिव 1/3 हिस्स के खातेदार काशतकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल गिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. महेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. बचनाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
2. ओमप्रकाश पुत्र बचनाराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर ।
3. राजुराम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
4. गोमती पुत्री बचनाराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
5. रोहिताश पुत्र राजुराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
6. सन्तलाल पुत्र राजुराम जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
7. सुभाष पुत्र स्व बंशीलाल जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
8. राकेश पुत्र स्व बंशीलाल जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
9. कविता पुत्री बंशीलाल जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
10. धापा पुत्री बंशीलाल जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
11. सुनीता पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
12. माया पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
13. मीरा पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी देवासर तहसील नोहर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 174 सन 2020 निर्णय दिनांक- 15/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सवुतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 152/142 की कुल 13.3190 हैक्ठु भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 ,6 बहिव 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 7 ,8 बहिव 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)